बिहार विधान परिषद्

सत्र - 179

22 अप्रील, 2015

समापन भाषण

माननीय नेता, सत्तारूढ़ दल

माननीय नेता, विरोधी दल

मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यगण

बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण

आज 22 अप्रील, 2015 को बिहार विधान परिषद् के 179वें सत्र का समापन हो रहा है। इस बजट सत्र में कुल 28 बैठकें आयोजित हुईं। सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण, शून्यकाल एवं प्रश्नों के माध्यम से लोकहित के कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई। पूरे सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने पूरी गंभीरता से अपने संसदीय सरोकारों को दर्शाते हुए जनसमस्याओं से जुड़े प्रश्नों के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

इस सत्र के दौरान अनेक विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पादन के साथ-साथ आर्थिक सर्वेक्षण, जेंडर बजट, परिणाम बजट, बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट, तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी, तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान एवं 2015-16 के आय-व्ययक का उपस्थापन एवं विभागवार वाद-विवाद हुआ। साथ ही, महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए जो इस प्रकार हैं :

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2015

(2) बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015

(3) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015

(4) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

(5) बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2008-2009) विधेयक, 2015

(6) बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन विधेयक, 2015

(7) श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) विधेयक, 2015

(8) बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

(9) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

सदन के प्रति सरकार के सद्भाव, सक्रियता तथा सम्मान-भाव के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। परिषद् के माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन-संचालन में सहयोग दिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन में उभरे लोकहित के स्वर को प्रकाशित-प्रसारित करने में अपनी तत्परता दिखाई।

मैं बिहार विधान परिषद् के सचिव एवं परिषद् सचिवालय के पदाधिकारियों, कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग एवं सक्रियता से सत्र का संचालन सफलतापूर्वक हो सका।

22 अप्रील, 2015 सभापति